

गुजरात चुनावों में वीवीपीएटी का प्रयोग?

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने नरिवाचन आयोग द्वारा 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ मतदाता सत्यापनीय कागज़ ऑडिट ट्रेल (Voter Verifiable Paper Audit Trail-VVPAT) इकाइयों का उपयोग न करने की इच्छा पर प्रश्न उठाया और नरिवाचन आयोग को चेतावनी दी कि न्यायालय को ऐसा करवाने के लिये बाध्य न किया जाए।

क्या है वीवीपीएटी (VVPAT)

- यह उपकरण वोट डाले जाने की पुष्टि करता है और इससे मतदान की पुष्टि की जा सकती है। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा 2013 में डिज़ाइन किया गया था।
- वीवीपीएटी के साथ प्रिंटर की तरह का एक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा होता है।
- इसके तहत इसमें मतदाता द्वारा उम्मीदवार के नाम का बटन दबाते ही, उस उम्मीदवार के नाम और राजनीतिक दल के चिन्ह की पर्ची अगले दस सेकंड में मशीन से बाहर निकल जाती है। इसके बाद यह एक सुरक्षित बक्से में गरि जाती है।
- पर्ची एक बार देखने के बाद ईवीएम से जुड़े कंटेनर में चली जाती है। ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची सात सेकंड तक दखिती है।
- यह व्यवस्था इसलिये है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मलिन किया जा सके।
- वीवीपीएटी का सबसे पहले प्रयोग 2013 में नागालैंड के नरिवाचन में किया गया था।

प्रमुख घटनाक्रम

- भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध सुनवाई पर नरिवाचन आयोग से पूछा कि आपके पास 87,000 मशीनें हैं आप उनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? इस पर आयोग के उत्तर से असंतुष्ट होकर न्यायमूर्ति खेहर ने आयोग को चार हफ्तों में जवाब देने के लिये कहा।
- याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को बताया कि केंद्र ने 150,000 मशीनों को खरीदने के लिये नरिवाचन आयोग को 3,000 करोड़ रुपए दिये हैं ... लेकिन अब वे कह रहे हैं कि लोगों को प्रशिक्षित करने में समय लगेगा। ऐसे बहाने लोकतंत्र में नहीं किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात नरिवाचन में, नरिवाचन के लिये 71,000 मशीनों की आवश्यकता होती है।
- उन्होंने सुब्रह्मण्यम स्वामी बनाम भारत नरिवाचन आयोग वाद 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी संदर्भित किया, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि पेपर नशान पारदर्शी और नष्पक्ष चुनावों की अनिवार्य आवश्यकता है।
- ईवीएम में मतदाताओं का विश्वास केवल पेपर ट्रेल की शुरुआत के साथ हासिल किया जा सकता है। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी सिस्टम मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करते हैं।
- ईवीएम में पंजीकृत वोटों को मत पेटियों में इकट्ठा किये गये मतपत्रों के साथ मलिया जा सकता है इस प्रकार, आयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि कोई बयौरा आवश्यक है या नहीं। ऐसी मुद्रति प्राप्तियों यह सुनिश्चित करती हैं कि मतदान अधिक पारदर्शी ढंग से किया गया है और यह नरिवाचन प्रक्रिया में आत्मविश्वास को बढ़ता है।